प्रेस विज्ञप्ति

22.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने सिटी बैंक को 11 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति तथा उस पर अर्जित ब्याज वापस कर दिया है। एक बैंक खाते में पड़ी शेष राशि के रूप में इन संपत्तियों को ईडी ने शिवराज पुरी, सिटी बैंक का कर्मचारी व अन्य आरोपियों, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया था, के खिलाफ जांच करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया था।

ईडी ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा शिवराज पुरी, प्रेमनाथ, शीला प्रेमनाथ, दीक्षा पुरी व अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने पर, गुरुग्राम पुलिस (एलईए) ने मामले में दिनांक 30.03.2011 को एक आरोप पत्र और 03.06.2011 और 24.12.2011 को दो पूरक आरोप पत्र दायर किए, जिसमें आरोपी व्यक्तियों अर्थात् शिवराज पुरी, संजय गुप्ता और गौरव जैन को दिनांक 25.02.2014 के आदेश के तहत दोषी ठहराया गया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि शिवराज पुरी सिटी बैंक का कर्मचारी था और उसने धोखाधड़ी से सिटी बैंक में खाता खोला था। उसने सिटी गोल्ड ग्राहकों, जिनके खातों का प्रबंधन वह स्वयं करता था, को 'एक्सक्लूसिव' उच्च रिटर्न, पूंजी गारंटी वाले वित्तीय उत्पादों में निवेश करने के लिए राजी किया, जो कथित तौर पर सिटी बैंक द्वारा अधिकृत और ब्रोकरेज हाउस द्वारा प्रबंधित थे। हालांकि, सिटी बैंक द्वारा ऐसे किसी उत्पाद की पेशकश नहीं की गई थी। उसके द्वारा धोखाधड़ी से खोले गए उक्त खाते में भुगतान प्राप्त हुए थे। प्राप्त किए गए उक्त भुगतानों के बदले में, उसने धोखाधड़ी से हस्तलिखित जमा रसीदें तैयार कीं और उक्त निवेशकों को सिटी बैंक की मुद्रित स्टेशनरी पर यह दिखाने के इरादे से जारी किया कि यह योजना सिटी बैंक द्वारा शुरू की गई थी। जांच से पता चला कि इस कार्यप्रणाली का उपयोग करके उन्होंने निवेशकों से 302.37 करोड़ रुपये की ठगी की, जो कि अपराध की आय (पीओसी) है।

ईडी ने आरोपी व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं की विभिन्न संपत्तियों (वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां, बैंक खातों में शेष धन आदि) को 22.10.2012, 31.12.2013, 26.03.2015 और 19.11.2015 के विभिन्न 04 अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 30.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद, ईडी ने शिवराज पुरी और अन्य सहित 05 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 31.03.2014 और 16.02.2016 को अभियोजन शिकायतें दर्ज कीं।

सिटी बैंक ने शिवराज पुरी द्वारा चलाई गई योजना में निवेशकों को 302.37 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया था। निवेशकों द्वारा शिवराज पुरी के खिलाफ बैंक को प्रत्यासित (अधिकृत) करने के बाद बैंक ने निवेशकों को उक्त राशि का मुआवजा/भुगतान किया।

चूंकि बैंक (जो वैध दावेदार बन गया) ने बैंक खाते (जिसमें कुर्क पीओसी पड़े थे) में शेष राशि की वापसी के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष आवेदन दायर किया था, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत उक्त कुर्क संपत्तियों की वापसी के लिए सहमति दे दी। माननीय न्यायालय ने ईडी द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और दिनांक 08.05.2025 के आदेश के तहत 11 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति और उस पर अर्जित ब्याज सिटी बैंक को वापस कर दिया।